

20/11/2020

पत्रावली पेशा हुई। वकील वादी उपण प्रतिवादी

मय वकील उपण वादी व प्रतिवादी वकील ने

भाई नारायण माली ज्ञापत्र पेश कर निवेदन दिया कि गौजा
(प्रतिवादी) बाकली के खण नं० 791/3 रकबा 0.07 ई० में

उप
पत्रावली

42 हि० वादी के कब्जे काशत की है। वादी के पास
में डिडी पारित की जाती है व प्रतिवादी को कोई

उप
अधी अधिकारी

आपत्ती नहीं है। दोनों पक्षों में राजीनामा हो जाने
से खण नं० 791/3 रकबा 0.07 ई० में 42 अश वादी

के नाम व 42 प्रतिवादी सं० 1 के नाम डिडी जारी
करने हेतु प्रतिवादी ने सहमति उदात्त की है। हमने

पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। वादी व

प्रतिवादी पक्षकारों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापत्र का

अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादी द्वारा आपसी सहमति
से 42 - 42 की डिडी पारित करवाने का निवेदन आपसी

सहमति से किया है अतः वादी एवं प्रतिवादी का ज्ञापत्र

पर स्वीकार किया जाता है। गौजा बाकली के खण नं० 791/3

रकबा 0.07 ई० में 42 हि० वादी एवं 42 प्रतिवादी सं० 1

सम डिडी किये जाने के आदेश किये जाते हैं। डिडी पेश



जारी हो। निर्णय सरे इजलास हुआ था।

पत्रावली के सल हुआ लेकर नम्बर से कप्त हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

